भागीदार बनें और 20 मई 2025 की अखिल भारतीय हड़ताल को सफल बनाऐं, क्रूर श्रम संहिताओं को निरस्त करें, अधिकारों की रक्षा करें – एआईआरटीडब्ल्यूएफ

प्रिय भाइयों और बहनों,

सभी को मई दिवस की बधाई। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन देश के सभी रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से अपील करता है कि वे 20–05–2025 को 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों और आजीविका की रक्षा के लिए हड़ताल में शामिल हों। बीएमएस को छोड़कर, अन्य सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। सड़क परिवहन क्षेत्र में को–ओरडीनेशन कॉमिटी जिसमें सीटू, एटक, इंटक, एचएमएस, एलपीएफ, एआईसीसीटीयू, टीयूसीआई शामिल हैं, सभी ने हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है।

रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की स्थितिः असंगठित सड़क परिवहन कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू करना, उबर/ओला/रैपिडो आदि के विकल्प के रूप में ऐप विकसित करना, बीएनएस की धारा 106(1)(2) को वापस लेना, आरटीसीएस को मजबूत और विस्तारित करना, वाहन स्क्रैपिंग नीति को वापस लेना, पेट्रोल, डीजल, गैस, टोल शुल्क को कम करना और तर्कसंगत बनाना समय की माँग है। हमने 24–03–2025 को "चलो संसद" सहित कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एआईआरटीडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में सामाजिक सुरक्षा की माँग पर सहमति व्यक्त की है। माननीय गृह मंत्री ने हमारी चलो संसद के अगले दिन संसद में घोषणा की कि सरकार उबर/ओला/रैपिडो आदि के विकल्प के रूप में ऐप विकसित करेगी। आश्वासनों को लागू किया जाना चाहिए और अन्य न्यायोचित माँगों का समाधान किया जाना चाहिए। इस मोड़ पर, सरकार ट्रेड यूनियन गतिविधियों को कुचलने के लिए संहिताओं को लागू करने की कोशिश कर रही है।

श्रम संहिताऐं क्या हैं? भारत सरकार ने 29 श्रम अधिनियमों को समाप्त/निरस्त कर दिया है और 4 श्रम संहिताऐं लागू की हैं। वे हैं (1) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता (2) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता (3) सामाजिक सुरक्षा संहिता (4) वेतन संहिता। भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। अब भारत सरकार संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

अगर इसे लागू किया गया तो क्या होगा? यूनियन बनाना मजदूरों का मौलिक अधिकार है। कई संघर्षों के बाद संसद द्वारा पारित ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के जरिए इसकी गारंटी दी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार 7 सदस्य मिल कर यूनियन पंजीकृत करने का फैसला कर सकते हैं और श्रम विभाग को सौंप सकते हैं। लेकिन औद्योगिक सम्बन्ध संहिता में यह संख्या किसी विशेष प्रतिष्ठान में मजदूरों के 10% या 100 जो भी कम हो, तक बढ़ा दी गई है। सीमा बढ़ाने का उद्देश्य यूनियनों का गठन न करना है। अधिकारियों को यूनियनों को पंजीकृत न करने और मौजूदा पंजीकृत यूनियनों को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। यह बंधुआ मजदूरी प्रणाली को फिर से लागू करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा, भविष्य में हड़ताल करना सबसे कठिन काम होगा। अवैध हड़ताल की आड़ में मजदूर और उसे उकसाने या हड़ताल का समर्थन करने वाला कहने वाले सभी को दंडित किया जाएगा। वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों को आपराधिक माना जाएगा।

असंगठित सड़क परिवहन कर्मचारीः ये सबसे कमजोर वर्ग हैं। पुलिस, आरटीए और दूसरे अधिकारी उन्हें गंदी तौर तरीकों से परेशान करते हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सड़क परिवहन कर्मचारियों का अनुभव है कि यूनियन बनाकर इस उत्पीड़न को कुछ हद तक नियंत्रित किया जाता है। कई जगहों पर यूनियन अपने सदस्यों को पहचान पत्र दे रही हैं। जब कर्मचारी पहचान पत्र पहनकर गाड़ी चलाता है तो इससे उसे एक तरह की सुरक्षा और सम्मान मिलता है। संहिताओं के लागू होने से न तो सुरक्षा मिलेगी और न ही सम्मान।

एआईआरटीडब्ल्यूएफ के प्रयासः अभी तक पीएफ, ईएसआई आदि अधिनियमों के प्रवर्तन के लिए न्यूनतम संख्या है। ये असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों पर लागू नहीं होते क्योंकि अधिकांश स्वरोजगार करते हैं। एआईआरटीडब्ल्यूएफ न्यूनतम संख्या की सीमा को हटाने की माँग कर रहा है ताकि उन्हें एक मजदूर पर भी लागू किया जा सके। लंबे संघर्ष के बाद, वर्ष 2006 में एआईआरटीडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधित्व

करने पर तत्कालीन प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भेजा था। वी.वी.गिरी संस्थान की समिति ने व्यापक अध्ययन के बाद सरकार को अधिनियमों में न्यूनतम संख्या को हटाने के लिए संशोधन करने की सिफारिश की है। सरकार ने न्यूनतम संख्या को हटाने के बजाय, इसे संहिताओं में दोहराया है और इसे हमेशा के लिए कवरेज से बाहर कर दिया है।

सामाजिक सुरक्षाः सामाजिक सुरक्षा संहिता में इस बात का खूब जिक्र किया गया है कि यह एक मील का पत्थर है और यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों और स्वरोजगार करने वालों के लिए लागू होगी। लेकिन संहिता में सरकार द्वारा धन के आवंटन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। धन आवंटन के बिना कामगारों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? यह कामगारों को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्रः सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी कई श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, ड्यूटी के घंटे, साप्ताहिक आराम, फैलाव, काम के घंटों की सूचना, आराम के बदले में प्रतिपूरक छुट्टी, वेतन का भुगतान, ओवरटाइम वेतन, छुट्टी के दौरान वेतन, कैंटीन सुविधा आदि मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961 के अनुसार लागू हैं। इसे निरस्त कर दिया गया है और संहिताऐं अन्य सभी मजदूरों के साथ लागू होंगी। संसद ने काम की प्रकृति और वातावरण को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग कानून बनाए हैं। लेकिन संहिताओं के कार्यान्वयन के कारण पहले के कानूनों में मौजूद सभी विशिष्ट प्रावधान संहिताओं में हटा दिए गए हैं या उन्हें कमजोर कर दिया गया है। इसके अलावा, 12% का मौजूदा पीएफ अंशदान घटाकर 10% कर दिया जाएगा। मालिकों द्वारा किए गए अपराधों को अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा।

संहिताऐं क्यों बनाई गईं? सरकारों और मालिकों द्वारा पैदा की गई तमाम बाधाओं और रुकावटों के बावजूद, मजदूर संघर्ष कर रहे हैं और कुछ हासिल कर रहे हैं। मुनाफे के लालची मालिकों इसे पचा नहीं पाए और उन्होंने सरकार को श्रम कानूनों/अधिकारों को खत्म करने और मजदूरों का खून निचोड़ने की खुली छूट देने के लिए मजबूर कर दिया। दबावों के आगे झुकते हुए, सरकार ने व्यापार करने में आसानी के नाम पर संहिताऐं बना दीं।

हकीकत क्या है? वैश्वीकरण के दौर और जलवायु परिवर्तन के कारण मजदूरों और जनता की स्थिति खराब हो गई है और काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में मजदूर वर्ग 7 घंटे प्रतिदिन और 5 दिन सप्ताह में काम की माँग कर रहा है। भारत में भी हम यही माँग कर रहे हैं और मजदूरों के पक्ष में कानून में संशोधन की माँग कर रहे हैं ताकि वे शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन सरकार इसके विपरीत काम कर रही है।

क्या हम मेहनत से अर्जित अधिकारों को छीनने देंगे? सरकार मजदूरों और आम जनता के बहुमत के वोट और समर्थन से सत्ता में आई है। सत्ता संभालने के बाद, सरकार मजदूरों और आम जनता की कीमत पर कॉरपोरेट्स के हितों की सेवा कर रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे पर आगे आऐं और सरकार को बताऐं कि हम आपको मजदूरों को गुलाम बनाने और सार्वजनिक सम्पत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट्स को सौंपने की इजाजत नहीं देंगे। हड़ताल में भाग लेकर और इसे सफल बनाकर हमें सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि हम बर्बरता नहीं होने देंगे। किसान संगठन और खेत मजदूर संगठन हड़ताल का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वे 20–05–2025 को बंद जैसी स्थिति बनाऐंगे।

अपीलः ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सभी सड़क परिवहन मजदूरों से अपील करता है कि वे 20–05–2025 को हड़ताल में बड़े पैमाने पर भाग लें और परिवहन की ताकत का प्रदर्शन करें।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन